



बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

23 मार्च 2023

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 35

तालाब का जीर्णोद्धार कबतक

*194 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला जहानाबाद, प्रखंड-काको में सूर्य मंदिर के निकट 42 एकड़ में बड़ा तालाब है जिसे बड़ी पनिहास कहते हैं एवं काको प्रखंड के काको में मलिक टोला में 24 एकड़ का छोटा तालाब है जिसे छोटी पनिहास कहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बड़ी पनिहास एवं छोटी पनिहास तालाब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं इसकी देखरेख के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के पास इनके सौंदर्यीकरण के लिए क्या योजना है एवं दोनों तालाबों का जीर्णोद्धार कबतक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुलिस सुधार आयोग

*388 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आये दिन पुलिस पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जैसे- मुंगेर में हादसे में घायल एक युवक की मौत के बाद मुजफ्फरपुर के कांटी में शराब बिक्री के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस के प्रति सम्मान एवं पुलिस की साख बढ़ाने हेतु पुलिस की कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चौक-चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों से लेकर जिला मुख्यालय एवं छापेमारी दस्ते में शामिल पुलिसकर्मियों को पुलिस सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में पब्लिक फ्रेंडली बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है, यदि नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*389 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दुल्हिन बाजार प्रखंड के पंचायत घाना निसरपुरा अंतर्गत चैनपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता सं.- 607, खेसरा सं.- 1080, रकबा 1 एकड़ 6 डिस्मिल, थाना- 41 है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार, पटना के कार्यालय पत्रांक- 478, दुल्हिन बाजार, दिनांक- 09.09.2017 अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज को एवं अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक- 704, 29.10.2016 के द्वारा अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार एवं थाना अध्यक्ष, दुल्हिन बाजार को उक्त कब्रिस्तान की स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन देने के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी करायेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

संख्या बढ़ाने पर विचार

*390 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मद्य निषेध विभाग में नियुक्त सिपाहियों को विशेष रूप से अत्याधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के विशेष आग्रह पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर मद्य निषेध विभाग में नियुक्त सिपाहियों को यह उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मद्य निषेध विभाग अपने उत्पाद सिपाहियों को CRPF की तर्ज पर प्रशिक्षण देते हेतु हुए बटालियन की संख्या बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

ठोस कार्य योजना

***391 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में रोजाना भीषण जाम की समस्या बनी रहती है जिसके कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि भीषण जाम की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने आज तक कोई कारगर कार्य योजना नहीं बनाई है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना शहर में जाम की समस्या का मुख्य कारण ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, नगर सेवा बस का परिचालन आदि में किसी नियम व कानून का पालन नहीं होना है;

(घ) क्या यह सही है कि पटना में भीषण जाम का मुख्य कारण ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा एवं नगर सेवा बस के लगाने के लिए स्टैण्ड की समुचित स्थान की व्यवस्था का अभाव है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना शहर के जाम की समस्या के निराकरण की दिशा में कोई ठोस कार्य योजना बनाना चाहती है, जिससे आम लोगों आवागमन में सुविधा हो सके ?

कब्रिस्तान की घेरांबंदी

***392 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका प्रखंडान्तर्गत गड़हिया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नया पुल का निर्माण

***393 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के फरीदपुर तथा बेलहरी ग्राम के मध्य स्थित गंडक नहर पर वर्षों पुराना पुल पिछले 20 वर्षों से जर्जर होकर ध्वस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल ध्वस्त होने के कारण इसुआपुर, मढौरा एवं तरैया प्रखंड की लाखों आबादी को परेशानी हो रही है तथा ध्वस्त पुल से लाचारी में पार करने के दौरान दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ध्वस्त पुल के स्थान पर नया पुल का निर्माण कराकर यातायात सामान्य कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अन्यत्र जगह पर स्थानांतरण

***394 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत सगुना मोड़ से दानापुर जाने वाले 6 Lane सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि काटी गई लकड़ी के टुकड़ों को विगत तीन वर्षों से बीच सड़क पर ढेर लगाकर छोड़ दिया गया है जिससे सड़क की चौड़ाई कम होने एवं लकड़ी की ऊंचाई अधिक होने के कारण बराबर वाहन दुर्घटना घटित होती है एवं यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों से यँ ही लकड़ी बर्बाद होने के कारण राजस्व की भी क्षति हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीच सड़क

पर पड़े लकड़ी के टुकड़ों को यथाशीघ्र अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्यावरण बचाव हेतु उपाय

*395 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के फल्गु नदी के दोनों किनारे नवादा, कंडी से लेकर अलीपुर, मठियापर, जंगलपुर, खिदरपुरा, शियरभुक्का जंगल में वन विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से लगाए गए पेड़ क्षतिग्रस्त कर जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से लगाए गए पेड़ की देखभाल समय पर नहीं होने के कारण सभी पेड़ नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि इस जंगल की जमीन पर स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बड़े-बड़े मकान का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने हेतु कौन से कदम उठाना चाहती है ?

नहर का निर्माण कार्य

*396 Mr. Radhacharan Sah (Bhojpur And Buxar Local Bodies):

Will the **Water Resources Department** be pleased to state:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर नहर के चोरांटी लख संख्या-07 से नहर (उप वितरणी) निकाल कर गड़हिया नहर एवं चमीला नहर के संयुक्त डेटम तक नहर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि के सिंचाई कार्य में कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर का निर्माण कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आंगनबाड़ी भवन का निर्माण

*397 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखण्डान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या- 23, 34 एवं 191 पर सेविकाओं का चयन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नाम पर अवैध प्रमाण पत्रों एवं फर्जी अंकों के आधार पर चयन कर लिया गया है जिसके चलते इन तीनों केन्द्रों के पोषक क्षेत्रों के बच्चों को पठन-पाठन और पोषक आहार से वंचित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तीनों केन्द्रों के संचालन के लिए अब तक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस दिशा में कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

क्षतिग्रस्त क्षेत्र का सुरक्षात्मक कार्य करना

***398 श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढी जिलान्तर्गत ग्राम पोसुआ पटनिया में लखनदेई नदी है जिसके किनारे से ग्रामीण कार्य विभाग के लगभग 1 किलोमीटर पक्की सड़क गुजरती है जो NH 77 से मेजरगंज को जोड़ती है;

(ख) क्या यह सही है कि नदी के कटाव से यह भाग बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, वाहन परिचालन में काफी कठिनाई हो रही है तथा किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बस स्टैंड को सुविधायुक्त कबतक

***399 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला के करगहर प्रखंड की कुल आबादी लगभग दो लाख से अधिक है लेकिन करगहर बाजार में कोई बस स्टैंड, टैम्पु स्टैंड आदि नहीं रहने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि करगहर बाजार से बक्सर, बनारस, सासाराम, पटना, रांची, धनबाद और कोलकाता आदि स्थानों के लिए बसें खुलती हैं लेकिन बस स्टैंड नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है और हमेशा जाम लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर न तो कोई चापाकल है और न ही शौचालय की व्यवस्था है, कोई यात्री शेड का निर्माण नहीं होने के कारण यात्रीगण काफी मुश्किल में रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार करगहर बाजार के आसपास बस स्टैंड को पूर्ण सुविधायुक्त बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजे का भुगतान

*400 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला में चन्दन नदी बाढ़ प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत निर्मित तटबंधों के निमित्त बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत सतत लीज पर किसानों से अर्जित की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 से 2014 के बीच निर्मित तटबंधों के लिए किसानों से ली गई जमीन के मुआवजे का भुगतान करने हेतु कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन, भागलपुर ने अपने पत्रांक- 646, दिनांक- 19.09.2022, पत्रांक- 789, दिनांक- 21.01.2022 एवं पत्रांक- 837, दिनांक- 05.12.2022 के द्वारा इस मद में 1,25,83.60332 लाख रुपये आवंटन देने हेतु विभाग से अधियाचना की है जिस पर सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के मुआवजे का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बांध का जीर्णोद्धार

*401 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड- ठकराहा के कोइरपट्टी से मोतीपुर तक जमींदारी बांध अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध के जीर्णोद्धार नहीं होने से बांध की बगल की सैकड़ों एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित बांध का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल निर्माण कबतक

*402 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत गांव अमीरपुर हरदास (संथाली टोला) होकर नहर गुजरी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि नहर में जल भराव रहने के चलते उक्त गांव के लोगों को मुख्य सड़क पर आने-जाने में कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांव के लोगों के सुलभ आवागमन के लिए गांव के निकट नहर पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाब को अतिक्रमण मुक्त

*403 Mrs. Nivedita Singh (Nominated):

Will the **Water Resources Department** be pleased to state:-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामगढ़, मौजा- नोनार के सरकारी तालाब का पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि खाता-286 और 287, प्लॉट नं.- 1217, 1432, 1783, रकबा 3 ए०17, 45 डी० और 3 एकड़, 12 डी० का कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा किया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण जनता को पटवन और खेती-बाड़ी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामगढ़, मौजा- नोनार के सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्थायी पुलिस फाड़ी का निर्माण

*404 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा शहर के पूर्वी भाग में स्थित सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय के सैकड़ों छात्रों और छात्राओं को भय के साये में आवाजाही करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट मंदिर के समीप एक अस्थायी पुलिस फाड़ी कार्यरत थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय के समीप स्थायी पुलिस फाड़ी के निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पईन का जीर्णोद्धार

***405 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम दुआरी के निकट सकरी नदी से गांगु पईन निकली है, जिसका उपयोग हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि गांगु पईन नवादा जिला के चार प्रखंड होते हुए करीब 36 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए शेखपुरा जिला तक चली जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि करीब 60 वर्षों से पईन की सफाई नहीं होने से उक्त क्षेत्र की भूमि बंजर पड़ी हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में हजारों एकड़ बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु, गांगु पईन का जीर्णोद्धार एवं सफाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवड़ा निर्माण

***406 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखंड की बरौनी-1 तथा बरौनी-2 पंचायत के मथुरापुर ग्राम में गुप्ता बांध के नजदीक रिंग बांध अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में रिंग बांध ध्वस्त हो जाता है जिससे किसानों की खेती लायक जमीन कटाव में बह जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर रिंग बांध में भवड़ा का निर्माण कर किसानों

की जमीन को कटाव से रोका जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखंड की बरौनी-1 तथा बरौनी-2 पंचायत के मथुरापुर ग्राम में गुप्ता बांध के नजदीक रिंग बांध के पास भवड़ा निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

आदेश का अनुपालन नहीं

***407 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक- 626, दिनांक:- 07.06.2019, पत्रांक-335, दिनांक:- 22.07.2021, पत्रांक- 3421, दिनांक:- 12.07.2022, पत्रांक- 532, दिनांक:- 07.05.2019, पत्रांक- 669, दिनांक:- 20.07.2022 के आलोक में विभाग के दो पत्राचार लिपिकों के द्वारा सेवा पुस्तिका में मिथ्या वरीयता अंकित कराकर राजकीय कोष से लाखों रुपये की अवैध निकासी करने एवं प्रतिमाह अधिक वेतन का भुगतान पाने के आरोप में मुख्य अभियंता (यो.+अनु.+भू.), पटना ने अपने पत्रांक-681, दिनांक:- 26.07.2022 के द्वारा शीघ्र कटौती कर वांछित राशि सरकारी कोष में जमा करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा को आदेश दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय मुख्य अभियंता (यो.+अनु.+भू.) के कार्यालय आदेश, दिनांक:- 18.01.2022 के द्वारा इस संबंध में जो आदेश दिया गया था, उसका भी अनुपालन अब तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नहर का जीर्णोद्धार

***408 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत टाटी पुल की बगल से मेहुस तक नहर कई वर्षों से निर्मित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर की वर्षों से खुदाई नहीं होने के कारण नहर लगभग मिट्टी एवं गाद से भर गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नहर की वर्षों से खुदाई नहीं होने के कारण हजारों

एकड़ खेती योग्य भूमि की पटवन सही ढंग से नहीं हो पाती है जिससे किसान काफी दुखी हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टाटी पुल की बगल से मेहुस जानी वाली नहर की पूर्णतः खुदाई करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कटाव रोकने हेतु कार्य योजना

*409 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड में विभिन्न जगहों पर लगभग हर वर्ष गंगा एवं गंडक नदी से कटाव हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि कटाव होने से जान-माल की काफी क्षति होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि कटाव के रोकने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उचित मानदेय देने पर विचार

*410 श्री जनक राम (मनोनीत):

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य की सभी पंचायतों में विकास मित्र की बहाली सरकार द्वारा की गई थी ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति रविदास समाज के लोगों तक पहुंच सके;

(ख) क्या यह सही है कि विकास मित्र से सरकार द्वारा अब विभिन्न प्रकार का कार्य कराया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि मानदेय के तौर पर 1256 रुपए एवं TA/DA 1800 रुपए मासिक भुगतान किया जाता है जिस कारण अल्प मासिक मानदेय से उनका परिवार चलना मुश्किल है जो कि श्रम कानून के विरुद्ध भी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि वह कबतक विकास मित्रों को उचित मानदेय देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मृतक के परिवार को मुआवजा तथा नौकरी

***411 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला थाना, पसरमा निवासी अंकित कुमार की हत्या दिनांक:- 27.01.2023 की संध्या एक समुदाय विशेष के द्वारा पीट-पीट कर दी गई;

(ख) क्या यह सही है कि कथित हत्या की घटना के लिए गोपालगंज थाना कांड संख्या 62/2023 में 15 नामजद और 35-35 अज्ञात के विरुद्ध आरोप दायर किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अंकित कुमार अपने घर का एक मात्र कमाऊ सदस्य था तथा सभी नामजद अभियुक्तों एवं संदिग्धों की गिरफ्तारी में स्थानीय पुलिस किसी अधिकारी के दबाव में शिथिलता बरत रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हत्या में नामजद एवं संदिग्ध अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा व नौकरी देने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाब की खुदाई

***412 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड की धुरगांव पंचायत के धुरगांव ग्राम में जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत महाली पोखर की खुदाई होनी थी, परंतु संवेदक के द्वारा इसकी खुदाई न कराकर चारों तरफ से भराई की जा रही है जिससे पोखर चौड़ा एवं गहरा होने की बजाय छोटा होता जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पोखर में ही ग्रामीणों के द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों द्वारा अर्घ्य अर्पित किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित तालाब की खुदाई कराने एवं संबंधित कराने एवं संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कौशल विकास कार्यशाला खोलने का विचार

***413 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के द्वारा कौशल विकास कार्यशाला स्थापित नहीं की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि सिवान जिला के उद्योग विभाग के द्वारा कौशल विकास कार्यशाला खोलने की आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिवान जिला में उद्योग विभाग के द्वारा कौशल विकास कार्यशाला खोलने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा

***414 श्री अनिल कुमार (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खुशी कुमारी पिता- पंकज कुमार, ग्राम- बेलविहमा, थाना- हारपुर, जिला- मुंगेर का अपहरण दिनांक:- 21 जनवरी 2023 को गया लाइन गुमटी पटना से हो गया, जहां CCTV कैमरा लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि इसमें जक्कनपुर थाना कांड सं.- 57/2023 दिनांक:- 22/01/2023 धारा 366 (4) भा.द.वि. दर्ज किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि जक्कनपुर थाना के पदाधिकारी से दिनांक:- 10.02.2023 को अपहृता से बातचीत हुई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार CCTV फुटेज खंगालकर अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रवासी श्रमिक हेतु रोजगार सृजन

***415 श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विगत दिनों कोविड प्रसार रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक वापस बिहार आए थे, उनकी कुशलता के अनुसार सूची निर्माण किया गया था या प्रवासी श्रमिकों की skill mapping की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उस समय की घोषणा के अनुसार उनके हुनर / कुशलता के

अनुसार उनके क्षमता संवर्धन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर उनमें उनका नियोजन एवं अन्यान्य जिससे उन्हें पलायन करना नहीं पड़े, के लिए सभी जिलाधिकारियों को कार्य करने का निर्देश सरकार के द्वारा निर्गत किया गया था;

(ग) उपरोक्त खण्ड 'ख' का उत्तर अगर स्वीकारात्मक हैं तो वापस आए सूची बद्ध श्रमिकों के लिए सरकार ने अबतक क्या किया है, कितने सूचीबद्ध श्रमिकों के कौशल संवर्धन, क्षमता संवर्धन, स्व नियोजन, उद्यम विकास के कार्य किए गए हैं, वो कौन हैं, अगर नहीं किए गए हैं तो सरकार इसके लिए क्या सोच रही है, कृपया, इससे संबंधित नीति निर्माण, आदेश और उपलब्धि स्पष्ट करने की कृपा करें;

(घ) साथ ही, यह भी जानकारी दें कि सूचीबद्ध वापस आए श्रमिकों को क्या अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है और वो क्या हैं?

कार्य प्रारंभ कबतक

*416 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत वोखड़ा अंचल की खड़का वसंत उत्तरी पंचायत में जल-जीवन-हरियाली के तहत परोरिया चौड़ सिंचाई योजना जिला समिति सीतामढ़ी से स्वीकृत है;

(ख) क्या यह सही है कि इस परोरिया चौड़ योजना में लगभग 52 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है;

(ग) क्या यह सही है कि इस परियोजना पर कार्यान्वयन हेतु लगभग विगत 3 वर्षों से प्रक्रिया चल रही है लेकिन अबतक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित योजना को यथाशीघ्र चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

स्लुइस गेट का निर्माण

*417 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुधबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड की बेलही भवानी पंचायत में रुस्तम हरीराहा गांव की बगल की नदी में स्लुइस गेट का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त नदी के स्लुइस गेट का निर्माण नहीं होने से कई पंचायतों के लोग बाढ़ से घिरे हुए रहते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेलही भवानी पंचायत के रुस्तम हरीराहा गांव के समीप नदी में स्लुइस गेट का निर्माण कब तक कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

मुआवजा देने पर विचार

***418 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल) :**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बसीर अहमद खां, ग्राम- मंगौली, थाना- सुहैल, प्रखंड- इमामगंज, जिला- गया की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक:- 10.09.2022 को हो गई थी, जिसकी सुहैल थाना में कांड संख्या- 27/22 भी दर्ज की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि इनके आश्रितों ने मुआवजा के लिए सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित किया हुआ है, परंतु आज तक इन्हें मुआवजा की राशि नहीं दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र इन्हें मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बांध का निर्माण

***419 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार) :**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपौली प्रखंड के विजय लालगंज से कुरसेला तक कारीकोषी नदी पर अस्थायी बांध का निर्माण नहीं रहने से उक्त प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत में उक्त नदी में जलस्तर के बढ़ने से बाढ़ आ जाती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नदी पर बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

अनुबंध पर भर्ती

***420 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा) :**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर भर्ती हेतु वर्ष 2019 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती फरहाना फातमा, पिता- सैयद फजल मोहम्मद,

ग्राम+पोस्ट- छोटा शेखपुरा, प्रखंड- नरहट, जिला- नवादा समेत अनेक बेरोजगार अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि तीन वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद आवेदकों की अनुबंध पर भर्ती नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला पर्यवेक्षिकाओं की अनुबंध पर भर्ती करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आरोप प्रमाणित

***421 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिला के लहेरी थाना कांड संख्या- 279/ 2017 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नालन्दा एवं पुलिस अधीक्षक, नालन्दा ने आरोप प्रमाणित पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड में खाद्य सामग्री को स्कूटर एवं सवारी गाड़ी से ढोये जाने संबंधी आरोप सही पाये गये हैं तथा 24033.88 क्विंटल चावल का गबन विभागीय पदाधिकारी एवं पैक्स अध्यक्षों द्वारा किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार का ज्ञापांक- 194/ प्र.मि.को., दिनांक:- 16.05.2017 एवं पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के ज्ञापांक- 2776/ सी.आर., दिनांक:- 13.03.2021 द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लहेरी थाना कांड संख्या- 279/2017 के अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?
